न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 68/2017

प्रार्थीः–

1. सेसूदीन उर्फ समसुद्दीन के विधिक वारिशान

   1/1 निजामुद्दीन पुत्र सेसूदीन उर्फ समसुद्धीन जाति तेली मुसलमान निवासी गजानन्द शर्मा, पाली तहसील व जिला पाली।

   1/2 सरफुदीन पुत्र सेसूदीन उर्फ समसुद्दीन जाति तेली मुसलमान निवासी मकान नम्बर 10 घोसी कॉलोनी, पाली

   1/3 मरीयम बानो पुत्री सेसूदीन उर्फ समसुद्धीन पत्नी हाजी मोहम्मद रफीक जाति तेली मुसलमान निवासी नाडी मोहल्ला पाली तहसील व जिला पाली फौत के विधिक वारिशान–

   1/3/1 मोहम्मद अली पुत्र मरीयम बानो जाति तेली तुसलमान निवासी 147 नाड़ी मोहल्ला, पाली

   1/3/2 फातमा बानो पुत्री मरीयम बानो पत्नी मोहम्मद हुसैन जाति तेली मुसलमान निवासी 195 नाड़ी मोहल्ला, पल्लीवालो का बास, पाली

   1/3/3 शौकत अली पुत्र मरीयम बानो जाति तेली मुसलमान निवासी 147 नाड़ी मोहल्ला, पाली

बनाम

अप्रार्थीगणः–

1. हाजी मोहम्मद पुत्र सेसूदीन उर्फ समसुद्दीन जाति तेली मुसलमान निवासी गजानंद मार्ग, पाली
2. मृतक भंवरलाल पुत्र बंशीलाल के विधिक वारीशान

   2/1 प्रकाश पुत्र भंवरलाल

   2/2 ज्ञान प्रकाश पुत्र भवंरलाल फौत के वैधिक वारिशान–

   2/2/1 श्रीमति सुन्दर देवी पत्नी ज्ञान प्रकाश

   2/3 चन्द्र प्रकाश पुत्र भंवरलाल

   2/4 संजय प्रकाश पुत्र भंवरलाल

   2/5 चन्द्रशेखर पुत्र भंवरलाल तमाम जाति सोनी निवासीगण बागर मोहल्ला, पाली (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये भुमिधारी तहसीलदार पाली।

उपस्थितिः–

1. श्री हिम्मत सिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण
2. श्री महेन्द्र व्यास, धर्मेन्द्र व्यास, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.</u>

Rahul

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

–:आदेश:– दिनांक 28.02.2020

1. प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि शहर पाली चक नम्बर 1 के खसरा नम्बर 772 रकबा 11 बीघा 7 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल वार्षिक लगान 5 रूपयें 67 पैसे की कृषि भूमि आई है जिसमें निजाम पुत्र मुबारिक कौम तेली, सेसूदीन पुत्र अल्लाद्दीन कौम तेली की शामलाती खातेदारी व कब्जाशुदा की कृषि भुमि पूर्व में खातेदारी दर्ज रही है जिस कृषि भुमि को आगामी पदो मे सुविधा माफिक आगे वादग्रस्त कृषि भुमि के नाम से संबोधित किया जायेगा। वादग्रस्त कृषि भुमि निजाम व सेसूदीन की दर्ज होते हुये भंवरलाल पुत्र बंशीलाल जो अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने पक्ष मे तारीख 6.3.1964 को 200 रूपये मे खरीदना बताकर म्युटेशन संख्या 126 स्वीकृत करवाया जबकि सेसूदीन जिसको बोलती भाषा मे समसुदीन कहते है सेसूदीन वक्त रजिस्ट्री फौत हो चुका था ओर फौतेदगी म्युटेशन हल्का पटवारी ने न तो भरा था ओर न ही अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष मे कोई स्वीकृत ही था फिर भी मृतक भंवरलाल ने निजाम से व अप्रार्थी संख्या 1 से सम्पूर्ण आराजी का बेचाण अपने पक्ष मे करवा दिया जबकि सेसूदीन के अप्रार्थी संख्या 1 से 2 सेसुदीन के पुत्र है एवं मरीयम सेसुदीन की पुत्री है तथा अप्रार्थी संख्या 1 भी सेसुदीन का पुत्र है ऐसी सुरत मे अप्रार्थी संख्या 1 जो सेसूदीन पुत्र अल्लाद्दीन की तमाम हक हिस्से की भुमि को बेचाण की है वो कर नही सकता था फिर भी की है जो अवैध एवं अनाधिकारपूर्ण है ओर प्रारम्भ से ही कानून की नजरो मे ऐबईनिसियो वोईड होने से शुन्य है। इसलिये सेसूदीन के प्रार्थीगण संख्या 1/1 व 1/2 वैधानिक पुत्रगण है तथा प्रार्थी संख्या 1/3 पुत्री होने से सेसूदीन के सम्पूर्ण आराजी 1/2 मे प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 सहित चारो का बहिस्सा विधि है एवं अप्रार्थी संख्या 1 का 1/8 हिस्सा बनता है जिसकी विधिवत घोषणा हक हिस्से की प्रार्थीगण के पक्ष मे सेसूदीन की खातेदारी मे खातेदारी हक अधिकार दिये जाने की उद्घोषणा करना कानूनन लाजमी है। अप्रार्थी संख्या 2 भंवरलाल न तो सम्पूर्ण आराजी अपने पक्ष मे बेचाण कराने का न तो हक रखता था ओर न ही बेचाण के रोज हाजी मोहम्म्द खातेदार ही था फिर भी हाजी मोहम्मद ने सेसूदीन का सम्पूर्ण हिस्सा भंवरलाल के पक्ष मे जो बेचाण प्रकट किया है वो उस वक्त न तो खातेदार था ओर न ही अकेले को बेचने का हक था जैसाकि म्युटेशन संख्या 126 से साबित है इसलिये ऐसे ऐब इनिसियो वोईड बेचाण होने से कानून की नजरो मे शुन्य है। मृतक भंवरलाल के फौत होने पर म्युटेशन संख्या 887 स्वीकृत किया, उसके बाद ज्ञान प्रकाश के देहान्त होने पर ज्ञान प्रकाश की पत्नी सुन्दरदेवी के पक्ष में एवं अन्य पुत्र एवं पुत्रीयो द्वारा हकतर्क करने से म्युटेशन संख्या 2884 स्वीकृत हुआ इस तरह म्युटेशन संख्या 126,887 व 2884 तथा अप्रार्थीगण संख्या 2 के वारीशान ने बैंक ऋण लिया जिसका म्युटेशन संख्या 2247 स्वीकृत हुआ ये सभी म्युटेशन जो शुरूआत से ही गलत है तो उसके क्रम मे जो म्युटेशन हुये है उन तमाम म्युटेशन संख्या 126,887 व 2884 को अवैधानिक एवं ऐब इनिसियो वोईड होने से शून्य है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रथम तो बेचाण के रोज खातेदार ही नहीं था इसलिये उसको बेचने का कोई अधिकार नही था ओर न ही मृतक भंवरलाल पुत्र बंशीलाल को सेसूदीन की सम्पूर्ण आराजी को खरीदने का ही हक था। विकल्पेन जो बेचाण दिनांक 6.3.64 को किया है उसमे सेसूदीन पुत्र अल्लाद्दीन के 1/2 हिस्से मे अप्रार्थी संख्या 1 का 1/8 हिस्सा ही बनता है उस हद तक बेचाण अगर वो खातेदार होता तो अर्थात अपने नाम, सेसूदीन के मरने पर म्युटेशन भरवाता

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

जिस पर 1/8 हिस्सा ही बेचाण कर सकता था फिर भी सेयूदीन के सम्पूर्ण हिस्से को अप्रार्थी संख्या 1 ने बेचाण किया है जो किसी सूरत मे बेचने का अधिकार नही था न ही वह उस रोज खातेदार था इसलिये ऐसे अवैध एवं अनाधिकारपूर्ण किये गये बेचाण कानून की नजरो मे शून्य है इसलिये प्रार्थीगण को सेसूदीन के खातेदारी हक हिस्से की भूमि मे 1/8,1/8,1/8 तथा अप्रार्थी संख्या 1 को 1/8 हक हिस्से की खातेदारी उद्घोषणा किये जाने का अनुतोष दिया जाना वैधानिक तौर पर लाजमी है। इस तरह के अवैधानिक बेचान व बेचान के संदर्भ मे जो म्युटेशन हुये उसकी सर्वप्रथम जानकारी तारीख 25.10.2015 को तब हुई जब प्रार्थीगण मौके पर गये तो अप्रार्थी संख्या 2 के वारीशान मौके पर आये ओर प्रार्थीगण को धमकी दी की वे प्रार्थीगण को अब वादग्रस्त भूमि मे काश्त नहीं करने देंगे। जब प्रार्थीगण ने कारण पुछा तो बताया कि सम्पुर्ण आराजी अप्रार्थी संख्या 2 के नाम हो गई है। जिस पर प्रार्थीगण ने म्युटेशन संख्या 126,887,2247 व 2884 की नकले जो इन म्युटेशन की चुनौती देने के लिये सक्षम अधिकारी जिला कलेक्टर के यहा अपील की जो अपील मयाद के बिन्दु पर खारीज की गई। जिस जिला कलेक्टर के आदेश की अपील राजस्व अपील अधिकारी पाली को की थी लेकिन विधिवेता की भुल से अपीले सक्षम अधिकारी के समक्ष पेश करने के लिये अपील लौटाई गई। जिन अपीलो को प्रार्थीगण ने संभागीय आयुक्त के यहा चुनौती दे रखी है जो विचाराधीन है। वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष मे एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की गई तो प्रार्थीगण के वाद का मकसद समाप्त हो जायेगा। प्रार्थीगण को ऐसी क्षति होगी। जिसकी पूर्ति निकट भविष्य मे रूपयो पैसो मे किया जाना असंभव है। अतः निवेदन है कि मुल वाद के अंतिम निर्णय तक प्रार्थीगण के पक्ष मे व अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की सादिर फरमाई जावे कि वादग्रस्त कृषि भुमि को अप्रार्थी संख्या 2 के वैधिक वारिशान है जो वो आगे से आगे बेचान ही करे, कृषि भुमि को खुर्द बुर्द नही करे न ही किसी प्रकार का निर्माण करे न कोई अकृषि कार्य करे न ही अपने अधिनस्थ किसी नौकर, मजदुर या रिश्तेदार से ही ऐसा कोई अपकृत्य करावे जिसके लिये अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण पारित करावें। मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का अदोश प्रदान करावें।

2. प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

3. अप्रार्थी संख्यागण संख्या 2/1 से 2/5 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पाली चक नम्बर एक के खसरा नम्बर 772 की कृषि भूमि पूर्व मे मृत अप्रार्थी संख्या दो भंवरलाल पुत्र बंशीलालजी की खातेदारी की थी। उनके निधन के पश्चात् अप्रार्थी संख्या 2/1 स 2/5 की खातेदारी की है। जिस कारण इस पद मे अंकित कथन कि निजाम पुत्र मुकारिक सेसुदीन पुत्र अल्लादीन कौम तेली की पूर्व मे कब खातेदारी व कब्जाशुदा की कृषि भूमि थी। इसका उल्लेख पद मे नही किया गया है। जिस कारण जवाब देना सम्भव नहीं है। दिनांक 03.03.1984 को अप्रार्थी संख्या दो स्वर्गीय श्री भंवरलाल पुत्र बंशीलालजी के द्वारा पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से वादग्रस्त भुमि प्रतिफल के बदले खरीद किये जाने के पशत उनका कब्जा होने के कारण हल्का पटवारी द्वारा कब्जे की जांच कर नामान्तरण संख्या 126 दिनांक 05.01.1996 को स्वीकृत करवाया

Rahul

रत्नाकर मालेकर

Scanned by CamScanner

गया था। उस समय प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या एक का कब्जा काश्त नही होने के कारण उनके नाम का नामान्तरणकरण पारित किये जाने का प्रश्न ही पैदा नही होता है जिस कारण इस पद मे फौतेदगी नामान्तरण ना भरने का अप्रार्थी संख्या एक के पक्ष मे स्वीकृत नही होने का, वक्त रजिस्ट्री सेसुदीन फौत होने का कथन आधारहीन है। इसी पद मे सेसुदीन के अप्रार्थी संख्या एक के अलावा प्रार्थीगण भी वैधानिक वारिस होने का तथा अप्रार्थी संख्या एक को सेसुदीन पुत्र अल्लादिन की तमाक हक हिस्से की भुमि को बेचान की है वो कर नहीं सकता जो अवैद्य व अनाधिकार पूर्ण होने का कानुन की नजरो मे प्रारम्भ से शुन्य होने का, प्रार्थी संख्या 1/1 व 1/2 पुत्र होने का तथा प्रार्थी संख्या 1/3 पुत्री होने का तथा सेसुदीन सम्पुर्ण आराजी 1/2 मे प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या एक सहित चारो का बराबर हक होने का व प्रत्येक का 1/8 1/8 1/8 हिस्सा होने का जिसकी विधिवत घोषणा हक हिस्से की प्रार्थीगण के पक्ष मे सेसुदीन की खातेदारी मे दिये जाने का कथन सरासर गलत व बेबुनियाद होने के कारण अस्वीकार है। वादग्रस्त भुमि पर दिनांक 06.03.1964 से लगा कर आज दिन तक प्रार्थीगण अथवा अप्रार्थी संख्या एक का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है जिस कारण वादग्रस्त भुमि के सन्दर्भ मे प्रार्थीगण किसी प्रकार की कोई घोषणा कब्जे के अभाव मे प्राप्त करने के अधिकारी नही होने के कारण प्रार्थीगण का वाद व प्रार्थना पत्र काबिल खारिज होने योग्य है। अप्रार्थी संख्या दो के पक्ष मे निष्पादित पंजीकृत बेचाननामे के आधार पर नामान्तरण संख्या 126 बाद जांच पारित किया गया था जो किसी भी रूप से ऐबईनिसियो वोईड बेचान नहीं है एवं न ही कानुन की नजर मे शुन्य है जिस कारण प्रार्थीगण किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है। वह अवैद्यानिक एवं ऐबईनिसियो वोईड होने व शुन्य होने का कथन सरासर गलत व बेबुनियाद होने के कारण अस्वीकार है। उक्त नामान्तरण विधिनुसार कब्जे की जांच कर भरे गये है जिससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त भुमि पर कभी भी प्रार्थीगण का कब्जा कास्त नही रहा है। जिस कारण कब्जे के अभाव मे प्रार्थीगण किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही होने के कारण प्रार्थीगण का वाद व प्रार्थना पत्र काबिल निरस्त होने योग्य है।अप्रार्थी संख्या एक बेचान के रोज खातेदार नही होने के कारण उसे बेचने का अधिकार नही होने का व भंवरलाल को सेसुदीन की सम्पुर्ण आराजी खरीद का हक नही होने का, अप्रार्थी संख्या एक को 1/8 हिस्सा ही बेचान करने का अधिकार होने का सम्पुर्ण हिस्से को बेचने का अधिकार नही होने का, बेचान अवैद्य व अनाधिकार पुर्ण होने का कानुन की नजरो मे शुन्य होने का तथा प्रार्थीगण का सेसुदीन की खातेदारी भूमि मे 1/8 1/8 1/8 तथा अप्रार्थी संख्या एक को 1/8 हिस्से की खातेदारी उदघोषणा का अनुतोष दिया जाना अस्वीकार है। वादग्रस्त भुमि पर दिनांक 06.03.1964 से आज दिन तक प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या एक का कब्जा काश्त नही के कारण प्रार्थीगण किसी प्रकार की उद्घोषणा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही होने के कारण प्रार्थीगण का वाद व प्रार्थना पत्र काबिल निरस्त होने योग्य है। वादग्रस्त भुमि अप्रार्थी संख्या दो द्वारा अपने जीवन काल मे प्रतिफल अदा कर पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से निजाम व अप्रार्थी संख्या एक से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया गया था तथा बरवक्त खरीद निजाम व अप्रार्थी संख्या एक द्वारा वादग्रस्त कृषि भुमि की असल पास बुक व सेटलमेन्ट (भु प्रबन्ध) विभाग द्वारा जारी असल पर्चा लगान संख्या 631 सुपुर्द किया गया था। उक्त विक्रय विलेख को प्रार्थीगण द्वारा किसी भी न्यायालय मे चुनौती देकर निरस्त नहीं करवाया

Rahi
सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

गया है। विधिनुसार विक्रय विलेख को निरस्त करने की अधिकारिता सिविल न्यायालय को होने के कारण तथा उसे निरस्त करवाये बिना प्रार्थीगण वाद एवं प्रार्थना पत्र मे चाहे गये अनुतोष को प्राप्त करने के अधिकारी नही होने के कारण विधिनुसार यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के न्यायालय मे पोषणीय नही होने के कारण काबिल निरस्त होने योग्य है। वादग्रस्त भुमि अप्रार्थी संख्या दो स्वर्गीय श्री भंवरलाल द्वारा पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से खरीद किये जाने के पश्चात् श्री भंवरलाल जी द्वारा उक्त भुमि को कृषि योग्य बनाने के लिये उस पर धोरा पाली करवाई गई थी तथा उसमे बेरा भी खुदवाया गया था तथा वर्ष 1970 मे कुआ को गहरा करवाया गया था तथा उसमे से निकली पत्थर कंक्रीट का धुरा खेत मे जहां जहा खडे थे उसको पुर्ण भरने का ठेका दिनांक 18.02.1970 को बेलदार छोगा वल्द चुन्नीलाल को दिया गया था। तत्पश्चात् बतौर खातेदार काश्तकार श्री भंवरलाल जी ने अपने नाम से विद्युत कनेक्शन प्राप्त किया गया था। श्री भंवरलाल जी अपने जीवन काल मे वादग्रस्त कृषि भुमि पर बतौर खातेदार काश्तकार उक्त सम्पुर्ण कृषि भुमि पर खड़ाई करते थे फसल बोते थे एवं फसल पकने पर फसल लेते थे व विद्युत बिलो व बिगोड़ी का भुगतान करते थ। इस प्रकार श्री भंवरलाल जी व उनके निधन के पश्चात अप्रार्थी संख्या 2/1 से 2/5 का उक्त सम्पुर्ण कृषि भुमि पर दिनांक 06.03.1964 से आज दिन तक बिना किसी रोक टोक शांतिपुर्ण तरिके से बिना किसी बाधा के कब्जा काश्त होने के कारण प्रार्थीगण का वादग्रस्त भुमि मे किसी प्रकार का कोई भी हक व अधिकार था तो वह विधिनुसार निर्वापित (Extinguished) हो जाने के कारण विधिनुसार प्रार्थीगण किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही होने के कारण प्रार्थीगण का वाद एवं प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है

4. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि पाली चक नम्बर 1 के खसरा नम्बर 772 रकबा 11 बीघा 7 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल वार्षिक लगान 5 रूपयें 67 पैसे की कृषि भूमि आई है। जिसमें निजाम पुत्र मुबारिक कौम तेली, सेसूदीन पुत्र अल्लाद्दीन कौम तेली की शामलाती खातेदारी व कब्जाशुदा की कृषि भुमि पूर्व में खातेदारी दर्ज रही है। कृषि भुमि निजाम व सेसूदीन की दर्ज होते हुये भंवरलाल पुत्र बंशीलाल जो अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने पक्ष मे तारीख 6.3.1964 को 200 रूपये मे खरीदना बताकर म्युटेशन संख्या 126 स्वीकृत करवाया। जबकि सेसूदीन वक्त रजिस्ट्री फौत हो चुका था ओर फौतेदगी म्युटेशन हल्का पटवारी ने न तो भरा था ओर न ही अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष मे कोई स्वीकृत ही था फिर भी मृतक भंवरलाल ने निजाम से व अप्रार्थी संख्या 1 से सम्पूर्ण आराजी का बेचाण अपने पक्ष मे करवा दिया जबकि सेसूदीन के अप्रार्थी संख्या 1 से 2 सेसुदीन के पुत्र है एवं मरीयम सेसुदीन की पुत्री है तथा अप्रार्थी संख्या 1 भी सेसुदीन का पुत्र है ऐसी सुरत मे अप्रार्थी संख्या 1 जो सेसूदीन पुत्र अल्लाद्दीन की तमाम हक हिस्से की भुमि को बेचाण की है वो कर नही सकता था फिर भी की है अप्रार्थी संख्या 2 भंवरलाल न तो सम्पूर्ण आराजी अपने पक्ष मे बेचाण कराने का न तो हक रखता था ओर न ही बेचाण के रोज हाजी मोहम्मद खातेदार ही था फिर भी हाजी मोहम्मद ने सेसूदीन का सम्पूर्ण हिस्सा भंवरलाल के पक्ष मे जो बेचाण प्रकट किया है वो उस वक्त न तो खातेदार था ओर न ही अकेले को बेचने का हक था जैसाकि म्युटेशन संख्या 126 से साबित है इसलिये ऐसे ऐब इनिसियो वोईड बेचाण होने से कानून

Rahul

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

की नजरो मे शुन्य है। मृतक भंवरलाल के फौत होने पर म्युटेशन संख्या 887 स्वीकृत किया, उसके बाद ज्ञान प्रकाश के देहान्त होने पर ज्ञान प्रकाश की पत्नी सुन्दरदेवी के पक्ष में एवं अन्य पुत्र एवं पुत्रीयो द्वारा हकतर्क करने से म्युटेशन संख्या 2884 स्वीकृत हुआ। इस तरह म्युटेशन संख्या 126,887 व 2884 तथा अप्रार्थीगण संख्या 2 के वारीशान ने बैंक ऋण लिया जिसका म्युटेशन संख्या 2247 स्वीकृत हुआ ये सभी म्युटेशन जो शुरूआत से ही गलत है तो उसके क्रम मे जो म्युटेशन हुये है उन तमाम म्युटेशन संख्या 126,887 व 2884 को अवैधानिक एवं ऐब इनिसियो वोईड होने से शून्य है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रथम तो बेचाण के रोज खातेदार ही नहीं था इसलिये उसको बेचने का कोई अधिकार नही था ओर न ही मृतक भंवरलाल पुत्र बंशीलाल को सेसूदीन की सम्पूर्ण आराजी को खरीदने का ही हक था। मुल वाद के अंतिम निर्णय तक प्रार्थीगण के पक्ष मे व अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की सादिर फरमाई जावे कि वादग्रस्त कृषि भुमि को अप्रार्थी संख्या 2 के वैधिक वारिशान है जो वो आगे से आगे बेचान ही करे, कृषि भुमि को खुर्द बुर्द नही करे न ही किसी प्रकार का निर्माण करे न कोई अकृषि कार्य करे न ही अपने अधिनस्थ किसी नौकर, मजदुर या रिश्तेदार से ही ऐसा कोई अपकृत्य करावे। जिसके लिये अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण पारित करावें।

6. विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में निवेदन किया कि सन् 1964 मे पंजीकृत दस्तावेज द्वारा हमारी खातेदारी दर्ज है। तथा हम आज भी रेकर्डेड खातेदार है। रजिस्ट्रर्ड खातेदार के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट का स्टे नही दिया जा सकता है। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के यहा अपील हुई थी जो खारिज हुई।

7. बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भुमि अप्रार्थी संख्या दो द्वारा अपने जीवन काल मे प्रतिफल अदा कर पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से निजाम व अप्रार्थी संख्या एक से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया गया था। अप्रार्थीगण जिस पंजीकृत विक्रय विलेख से आये थे उसकी कोई अपील नहीं की है। खातेदार अभी भी अप्रार्थीगण है। वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त प्रार्थीगण का नहीं पाये जाने से उसे अपरिमित क्षति होने की भी कोई संभावना प्रथम दृष्ट्या प्रतीत नही होती है। प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का हक अधिकार बनता है अथवा नहीं इसका निर्धारण मूल वाद में बाद ट्रायल ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर मूल वाद के साथ नथी की जावे।

Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली

यह आदेश आज दिनांक 28.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2020.03.19 15:42:27 IST
Reason: SelfAttested
Location: